बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि०सं०–निग / सारा–4 (पथ)–आरोप–18 / 16 961(5) पटना, दिनांक :– 07/02/17

श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी०सं०–13420 / 2015, 13580 / 2015 एवं 13600 / 2015 मेसर्स सिंह कन्स्ट्रक्शन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं किये जाने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के प्रतिकूल टिप्पणी (Adverse Remarks), किये जाने एवं पुनः दिनांक–02.02.16 के पूर्व तत्संबंधी वाद में ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं किये जाने के फलस्वरूप तत्कालीन प्रधान सचिव की माननीय उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति होने एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता संख्या–13 के द्वारा इस संबंध में श्री सिंह को मोबाईल पर सूचित किये जाने के क्रम में उनके द्वारा अशिष्टतापूर्वक व्यवहार किये जाने के लिए श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी तथा श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक–207 अनु0 दिनांक–30.01.16 के समीक्षोपरांत स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–6163 (एस) दिनांक–02.08.16 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 के नियम (i) एवं (v) के अन्तर्गत निम्न दंड संसूचित किया गया :–

(i) निन्दन (आरोप वर्ष–2015–16) की सजा।

(ii) दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है।

2. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक–12.08.16 समर्पित किया गया। श्री सिंह द्वारा अपने पुनर्विचार अभ्यावेदन में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि तीनों वादों में दिनांक–02.02.16 के पूर्व प्रतिशपथ पत्र दायर करने का आदेश प्राप्त था, जिसके आलोक में दिनांक–29.01.16 को मेरे द्वारा प्रतिशपथ पत्र दायर कर दिया गया। फलस्वरूप तत्कालीन प्रधान सचिव की माननीय न्यायालय में सदेह उपस्थिति नहीं हुई थी। श्री सिंह के उक्त कथन को इस आधार पर स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है कि उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में यदि दिनांक–20.01.16 के पूर्व प्रतिशपथ पत्र दायर कर दिया जाता तो विभाग को माननीय उच्च न्यायालय में उक्त प्रतिकूल स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता।

3. इसके अतिरिक्त श्री सिंह द्वारा त्रुटिपूर्ण तथ्य विवरणी उपलब्ध कराये जाने से यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये तथ्य विवरणी को तैयार करने में संबंधित याचिका की समीक्षा गंभीरतापूर्वक नहीं की गयी, जिसके कारण मुख्य अभियंता के स्तर से इसे पुनः संशोधित कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। श्री सिंह के द्वारा संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण न्यायालीय आदेश की उपेक्षा कर धोर लापरवाही बरती गयी और अपने विभागीय निदेशों तथा पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। **इस प्रकार श्री सिंह माननीय उच्च न्यायालय के मामले के निष्पादन में न केवल तथ्यात्मक त्रुटि हेतु जवाबदेह हैं, बल्कि विलंब हेतु भी जवाबदेह हैं। इसके साथ ही श्री सिंह द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता संख्या–13 पर दूरभाष से अशिष्टितापूर्ण व्यवहार किये जाने की भी पुष्टि होती है।**

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की उपेक्षा करने, विभागीय निर्देशों की अवहेलना करने तथा पद पर रहते हुए अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के संबंध

में श्री सिंह के द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिंह के द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन के माध्यम से ऐसा कोई तथ्य नहीं रखा गया है जिसके आधार पर उन्हें दोषी न माना जाय।

4. तद्आलोक में श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन पत्रांक–शून्य दिनांक–12.08.16 को संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में सरकार के निर्णयानुसार इसे अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

07/02/17

सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 962(S)

पटना, दिनांक :– 07/02/17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/02/17

सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 962(S)

पटना, दिनांक :– 07/02/17

प्रतिलिपि :– उप सचिव, प्रभारी ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई/अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को इस अधिसूचना को विभागीय web site पर प्रदर्षित करने हेतु सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0–यथोक्त।

07/02/17

सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 962(S)

पटना, दिनांक :– 07/02/17

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना /अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (यातायात) उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–1, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना /अवर सचिव (लेखा/मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/6/13/14, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/रोकड़ शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

निबंधित

07/02/17

सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

7/2/17